

संख्या-250/2025/80/म0म0न0सू0यो0/9-2-2025-E-1837970

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

नगरीय निकाय निदेशालय,

उ0प्र0 लखनऊ।

**नगर विकास अनुभाग-2****लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2025****विषय:-**मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नवसृजित नगर पंचायत, बैतालपुर, जनपद-देवरिया को द्वितीय किश्त अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-तक0सेल/694/29/मु0म0न0सू0यो0-यू0सी0/2023-24, दिनांक 27.03.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नवसृजित नगर पंचायत, बैतालपुर, जनपद-देवरिया को प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि से कराये गये कार्यों के अद्यतन फोटोग्राफ्स, निरीक्षण आख्या एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते हुये द्वितीय किश्त अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नवसृजित नगर पंचायत, बैतालपुर, जनपद-देवरिया को शासनादेश सं0-160/2022/4351/002-E-1667107-84ज-22, दिनांक 12.12.2022 द्वारा तालिका में उल्लिखित कार्यों हेतु प्रथम किश्त के उपभोग के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के संगत लेखाशीर्षक के अन्तर्गत अवशेष धनराशि से नवसृजित नगर पंचायत, बैतालपुर, जनपद-देवरिया के पास उपलब्ध धनराशि रू0 6,42,135.00 को समायोजित करते हुए तालिका में उल्लिखित 04 कार्यों की अवशेष द्वितीय किश्त की कुल धनराशि रू0 27,69,800.00 (रू0 सत्ताइस लाख उनहत्तर हजार आठ सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपये में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	प्रथम किश्त की धनराशि का विवरण	मांग की गयी द्वितीय किश्त की धनराशि का विवरण	निकाय के पास उपलब्ध धनराशि के समायोजनोपरान्त अवमुक्त की जा रही द्वितीय/अन्तिम किश्त की धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	नगर पंचायत बैतालपुर में देवरिया - गोरखपुर में पिच रोड से गुडरी प्राथमिक स्कूल तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	17,56,000.00	8,78,000.00	5,79,655.00	
2	नगर पंचायत बैतालपुर के ईटवा में विश्वनाथ यादव के मकान से देवरिया-	18,20,000.00	9,10,000.00	5,82,582.00	

1. इस संख्य में धारिणादेश संख्या-1489/नं-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 के माध्यम से निर्मित मुख्यमंत्री नगर सजान योजना की गार्डरूल्डिंग के दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रियानुसार संक्षम स्तर के अर्जनादेशों को उपलब्ध कराया जाएगा।

2. धारिणादेशों में ताकालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धारिणादेशों को अतिरिक्त करके अनिवार्य रूप से बैंक/लोक से प्राप्त होने पर ही किया जाएगा।

3. कायदा एवं विनियमन के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।

4. अर्जनादेशों को जारी करने के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।

5. कायदा एवं विनियमन के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।

6. धारिणादेशों को जारी करने के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।

7. प्रशासनिक कार्य करने से पूर्व निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।

8. कायदा एवं विनियमन के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।

9. धारिणादेशों को जारी करने के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।

10. कायदा एवं विनियमन के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।

11. कायदा एवं विनियमन के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।

12. कायदा एवं विनियमन के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।

13. कायदा एवं विनियमन के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।

14. कायदा एवं विनियमन के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।

**नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध-**

योग		81,06,000.00	2265000	34,11,935.00	27,69,800.00
4	नगर पंचायत बृहन्नागपुर के विभिन्न नगर क्षेत्रों के विकास के लिए धारिणादेशों के माध्यम से नए शहरों के विकास के लिए धारिणादेशों को जारी करने के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।	18,37,000.00	9,18,500.00	9,16,663.00	
	नगर पंचायत बृहन्नागपुर में शहरी विकास के लिए धारिणादेशों को जारी करने के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।	26,93,000.00	13,46,500.00	13,33,035.00	
	नगर पंचायत बृहन्नागपुर में शहरी विकास के लिए धारिणादेशों को जारी करने के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।				27,69,800.00

की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

15. कार्यों के लिये स्वीकृत धनराशि का व्यय निविदा/कायदश निर्गत होने की सीमा तक किया जायेगा तथा शेष धनराशि वापस राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

16. निर्गत की जा रही धनराशि एक सप्ताह के अन्दर कार्य प्रारम्भ करने हेतु निकाय को उपलब्ध करायी जाये।

17. निर्गत की जा रही धनराशि से निकाय द्वारा अतिशीघ्र कार्य पूर्ण कराते हुये कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के साथ शासनादेश सं0-1489/नौ-9-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यों की जांच आख्या, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं मूल फोटोग्राफ्स निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

18. इस सम्बन्ध में शासनादेश सं0-1489/नौ-9-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 के माध्यम से निर्गत मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार कार्यों की जांच कर गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु विकसित डैश बोर्ड पर योजना की भौतिक/वित्तीय प्रगति एवं फोटोग्राफ्स अपलोड किये जायेंगे।

19. निकाय द्वारा यह विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा कि किसी भी दशा में नवसृजित/विस्तारित नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद क्षेत्र में ही निर्माण कार्य किया जाय। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित जिलाधिकारी/अध्यक्ष, संबंधित निकाय/अधिशासी अधिकारी, संबंधित निकाय की होगी।

20. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला वाला व्यय रुपये 27,69,800.00 (रुपये सत्ताईस लाख उनहत्तर हजार आठ सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217801930300** नवसृजित नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास **मानक मद 35** पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक-04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

Signed by  
Sanjay Kumar Tiwari

Date: 30-03-2025 14:44:50

भवदीय,

(संजय कुमार तिवारी),  
अनु सचिव।

**संख्या-250/2025/86/मु0मं0न0सु0यो0/9-2-2025, तदिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (3) मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, कोषागार, लखनऊ।
- (4) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (5) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (6) मण्डलायुक्त, गोरखपुर।
- (7) जिलाधिकारी, देवरिया।
- (8) निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
- (9) सहायक निदेशक, (वित्त), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

- (10) अध्यक्ष/अधिकासी अधिकारी, नवसृजित नगर पंचायत, बैतालपुर, जनपद-देवरिया।
- (11) वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
- (12) कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- (13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
(संजय कुमार तिवारी),  
अनु सचिव।